

आवेदन फॉर्म

हाउसिंग एक्ट 1985 (जैसे संशोधित) के अनुसूची 5 का अनुच्छेद 11

यह निर्धारित करने के लिये आवेदन पत्र कि क्या घर वृद्ध व्यक्तियों की रिहायश के लिये उचित है।

प्रयोग करने के लिये यह सही फ़ॉर्म है यदि आप रैसीडेन्शियल प्रापर्टी ट्रिब्यूनल-(आर पी टी) को यह निर्धारित करने के लिये पूछना चाहते हैं कि - हाउसिंग एक्ट 1985 (जैसे संशोधित) के अनुसूची 5 का अनुच्छेद 11 के अनुसार "खरीदने के अधिकार" से छूट जो घर वृद्ध व्यक्ति के रहने योग्य हो, क्या आपके घर पर लागू होती है। एसा निर्धारण कर पाने के लिये आर पी टी को यह आवेदन पत्र आपके लेण्डलार्ड द्वारा आपको दिये गये नोटिस (हाउसिंग एक्ट 1985 के सैकशन 124 के अनुसार) के 56 दिन के अन्दर मिल जाना चाहिये।

लेण्डलार्ड द्वारा आपको दिये गये नोटिस जिसे आर पी टी 2 कहा जाता है के इलावा कृपया इस आवेदन फ़ॉर्म के साथ कोई अन्य दस्तावेज़ न भेजें। यदि या जबभी कभी किसी साक्ष्य की जरूरत होगी तो आपको अलग से भेजने के लिए कहा जाएगा।

यदि इस फ़ॉर्म को भरने या जो कार्यविधि ट्रिब्यूनल प्रयोग करेगा के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं, कृपया हमें इस नम्बर पर फोन करे 0845 600 3178

1. निवेदक(को) का ब्योरा

नाम: _____

पता (पोस्ट कोड शामिल करते हुये): _____

पत्र व्यवहार के लिये पता (यदि अलग हो): _____

टैलीफोन दिन के समय: _____ शाम: _____ मोबाइल: _____

ईमेल का पता: _____

स्थिति (जैसे कि टैनअन्ट): _____

प्रतिनिधि का ब्योरा: _____

जहां प्रतिनिधि का ब्योरा दिया गया है, सारा पत्र व्यवहार और आदान प्रदान उन्ही के साथ होगा जब तक ट्रिब्यूनल को सूचित नहीं किया जाता कि वह आगे के लिये कार्य वाहक नहीं हैं।

2. पता (पोस्ट कोड शामिल करते हुये) सम्पत्ति का (यदि पहले नहीं दिया)

3. लैण्डलार्ड का ब्योरा (यह आपकी लोकल हाउसिंग एथाटी या हाउसिंग एसोसिएशन होगी)

नाम: _____

पता (पोस्ट कोड शामिल करते हुये): _____

पत्र व्यवहार के लिये पता (यदि अलग हो): _____

टैलीफोन: _____

4. आपकी किरायेदारी के बारे में

यदि आरम्भ में किरायेदारी आपको दी गई थी, अकेले या साझेदारी में, कृपया वह तिथि बताएं जब किरायेदारी शुरू हुई थी।

यदि आप असली किरायेदार नहीं थे परन्तु उस व्यक्ति की मौत (जैसे कि आपका पति पत्नि या परिवार का सदस्य) के बाद किरायेदारी आपको मिल गई तो, कृपया वह तिथि बताएं जब किरायेदारी उस व्यक्ति को प्रदान की गई थी (आपका "पूर्व अधिकारी")। _____

आपकी जनम तारीख क्या है? दिन: _____ महीना: _____ साल: _____

कृपया प्रपटी पर रहने वाले सबसे वृद्ध व्यक्ति की जन म तारीख बताएं जब किरायेदारी शुरू हुई थी (या, जैसे के कंस हो सकता है, आपके पूर्व अधिकारी की)।

दिन: _____ महीना: _____ साल: _____

6. सम्मेलन स्थान की जरूरतें

यदि सुनवाई होती है, और आप सुनवाई पर आना चाहते हैं, कृपया यदि आपकी या आपके साथ आने वाले किसी की कोई खास आवश्यकतायों हैं तो उनका ब्योरा प्रदान करें (जैसे कि व्हील चेअर का प्रयोग/या दुभाषीये का मौजूद होना):

मार्गदर्शन के लिए नोट

लंडन में, केस आम तौर पर केस अल्ट्रेड प्लेस में सुने जाते हैं जो पूरी तरह व्हील चेअर द्वारा पहुँच के योग्य हैं। अन्य स्थानों पर, सुनवाई लोकल सम्मेलन स्थानों में होती है जो सभी इतनी आसानी से पहुँच के योग्य नहीं हैं और कलकों को यह जानना लाभकारी लगेगा यदि आपकी या आपके साथ सुनवाई पर आने वाले किसी की इस प्रकार की कोई खास जरूरत है।

7. सच्चाई का ब्यान

मेरा यकीन है कि इस आवेदन में दिये गये तथ्य सत्य हैं।

हस्ताक्षर:

तिथी:

आपको पूरा भरा हुआ आवेदन फार्म रेंट्स सैसमेंट आफिस को भेजना चाहिये जो उस क्षेत्र से निपटता है जहां आपका घर है। पैनल दफतरो के पते आपको नैक्स 1 में मिल सकते हैं।

यदि इस फॉर्म को भरने के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं, कृपया रेजीडेन्शियल प्रोपर्टी ट्रिब्यूनल सरविस नेशनल हेल्पलाइन को इस नम्बर पर फोन करे **0845 600 3178**

कृपया सुनिश्चित करें कि इस आवेदन फार्म के साथ आप लैण्डलार्ड नोटिस की एक कापी जिसे आर टी वी 2 कहा जाता है संलग्न करें।

NORTHERN RENT ASSESSMENT PANEL

First Floor, 5 New York Street,
Manchester M1 4JB

टैलीफोन: 0845 100 2614 or 01612 379491

फैक्स: 0161 237 3656 or 0161 237 9491

यह आफिस नीचे लिखे मेट्रोपोलीटन डिसट्रिक्ट्स को कवर करता है: Barnsley, Bolton, Bradford, Bury, Calderdale, Doncaster, Gateshead, Kirklees, Knowsley, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle-upon-Tyne, Oldham, Rochdale, Rotherham, St. Helens, Salford, Sefton, Sheffield, Stockport, Sunderland, Tameside, Trafford, Tyneside (North & South), Wakefield, Wigan and Wirral.

यह नीचे लिखी युनिट्री अथाटीयो को भी कवर करता है: Hartlepool, Middlesbrough, Redcar and Cleveland, Darlington, Halton, Blackburn with Darwen, Blackpool, Kingston-upon-Hull, East Riding of Yorkshire, Northeast Lincolnshire, North Lincolnshire, Stockton-on-Tees, Warrington and York.

यह नीचे लिखी काउन्टीस को भी कवर करता है: Cheshire, Cumbria, Durham, Lancashire, and Lincolnshire.

MIDLAND RENT ASSESSMENT PANEL

2nd Floor, Louisa House, 92-93 Edward Street,
Birmingham B1 2RA

टैलीफोन: 0121 236 7837

फैक्स: 0121 236 9337

यह आफिस नीचे लिखे मेट्रोपोलीटन डिसट्रिक्ट्स को कवर करता है: Birmingham, Coventry, Dudley, Sandwell, Solihull, Walsall and Wolverhampton.

यह नीचे लिखी युनिट्री अथाटीयो को भी कवर करता है: Derby, Leicester, Rutland, Nottingham, Herefordshire, Telford and Wrekin and Stoke-on-Trent.

यह नीचे लिखी काउन्टीस को भी कवर करता है: Derbyshire, Leicestershire, Nottinghamshire, Shropshire, Staffordshire, Warwickshire and Worcestershire.

EASTERN RENT ASSESSMENT PANEL

Great Eastern House, Tenison Road,
Cambridge CB1 2TR

टैलीफोन: 0845 100 2616 or 01223 505112

फैक्स: 01223 505116

यह आफिस नीचे लिखी युनिट्री अथाटीयो को भी कवर करता है: Bracknell Forest, West Berkshire, Reading, Slough, Windsor and Maidenhead, Wokingham, Luton, Peterborough, Milton Keynes, Southend-on-Sea and Thurrock.

यह नीचे लिखी काउन्टीस को भी कवर करता है: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Essex, Hertfordshire, Norfolk, Northamptonshire, Oxfordshire and Suffolk.

SOUTHERN RENT ASSESSMENT PANEL

1st Floor, 1 Market Avenue,
Chichester, PO19 1JU

टैलीफोन: 0845 100 2617 or 01243 779394

फैक्स: 01223 505116

यह आफिस नीचे लिखी युनिट्री अथाटीयो को भी कवर करता है: Bath and Northeast Somerset, Bristol, North Somerset, South Gloucestershire, Bournemouth, Plymouth, Torbay, Poole, Swindon, Medway, Brighton and Hove, Portsmouth, Southampton and the Isle of Wight.

यह नीचे लिखी काउन्टीस को भी कवर करता है: Cornwall and the Isles of Scilly, Devon, Dorset, East Sussex, Gloucestershire, Hampshire, Kent, Somerset, Surrey, West Sussex and Wiltshire.

LONDON RENT ASSESSMENT PANEL

10 Alfred Place,
London WC1E 7LR

टैलीफोन: 020 7446 7700

फैक्स: 020 7637 1250

यह आफिस सारी लंडन बारो को कवर करता है।